

ORDER SHEET

THE COURT सिराज अली न्यायमजिष्ठ प्रथम श्रेणी बैहर

अपराधिक प्रकरण क्रमांक-1238 / 14

शासन विरुद्ध रऊफ खान +3

| Date of order or proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or pleaders where necessary |
|-----------------------------|---|--|
| क 18 / 12 / 14 | <p>मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बालाघाट के प्रभावशील कार्य विभाजन के आदेशनुसार आरक्षी केन्द्र मलाजखंड के अपराध क्रमांक 173 / 14, धारा-294, 323, 506 बी 34 भादंवि के अंतर्गत दण्डनीय अपराधों के संबंध में थाना प्रभारी की ओर से पोतन चौधरी क्रमांक-..... ने यह अभियोग पत्र सह प्रपत्र (क्रमांक 01 से 14 तक) अभियुक्त-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. रऊफ खान पिता नूरखान, जाति मुसलमान, उम्र 48 साल, 2. अय्युब खान पिता रऊफ खान, जाति मुसलमान, उम्र 22 साल, 3. मोहसीन उर्फ ईमरान खान पिता रऊफ खान, जाति मुसलमान, 4. गुलबसा पिता रऊफ खान, जाति मुसलमान, उम्र 18 साल सभी निवासी भिमजोरी, थाना मलाजखंड, जिला बालाघाट (म0प्र0) के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया। <p>अभियुक्तगण को अभिरक्षा में लिया गया।</p> <p>राज्य द्वारा श्री अनिल मोहारे ए0डी0पी0ओ।</p> <p>अभियुक्तगण की ओर से श्री एम0आई बेग अधिवक्ता ने उपस्थिति ज्ञापन प्रस्तुत किया।</p> <p>अभियोग पत्र विहित समयावधि में प्रस्तुत किया गया है।</p> <p>अभियुक्तगण के अधिवक्ता को अभियोग पत्र की पठनीय प्रतियां प्रदान की गई।</p> <p>प्रकरण का अभिलेख केन्द्रीय पंजीयन हेतु संबंधित पंजीयक लिपिक को भेजा जावे।</p> | |
| | | |

| Date of order or proceeding | Order or proceeding with Signature of Presiding Officer | Signature of Parties or pleaders where necessary |
|-----------------------------|--|--|
| | <p>प्रकरण से संबंधित संपत्ति दो चाकू सब्जी काटने के को नायब नाजिर के पास जमा की जाये। संपत्ति ज्ञापन अभिलेख के साथ संलग्न किया जाये।</p> <p>प्रार्थी अब्दुल हनीफ जिलानी, आहत सबनम अब्दुल हारून जिलानी, स्वतः उपस्थित।</p> <p>श्री एम0आई0बेग अधिवक्ता ने उपस्थित होकर उभयपक्ष की ओर से एक आवेदन पत्र अंतर्गत धारा-320 एवं 320(2) दं0प्र0सं0 का पेश कर राजीनामा किये जाने की अनुमति एवं राजीनामा स्वीकार किये जाने का निवेदन किया गया।</p> <p>प्रार्थी एवं आहतगण ने राजीनामा स्वैच्छयापूर्वक बिना किसी डर या दवाब के राजीनामा किया जाना प्रकट किया है तथा प्रार्थी एवं आहतगण की पहचान अधिवक्ता श्री एम0आई0बेग द्वारा की गई।</p> <p>आरोपीगण के विरुद्ध धारा 294, 323, 506 भाग-दो 34 भादंवि के अंतर्गत अपराध का आरोप है। आरोपीगण के विरुद्ध अपराध का शमन किये जाने हेतु प्रार्थी अब्दुल हनीफ जिलानी, आहत सबनम अब्दुल हारून जिलानी सक्षम पक्षकार है। आरोपीगण के विरुद्ध किसी अपराध में पूर्व दोषसिद्धि का प्रमाण पेश नहीं किया गया है। आरोपित अपराध में से भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग दो 34 शमनीय प्रकृति का है। उभयपक्ष का उक्त राजीनामा आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। फलस्वरूप आरोपी रऊफ खान, अय्युब खान, मोहसीन उर्फ इमरान खान, गुलबसा को शमनीय अपराध भारतीय दण्ड संहिता की धारा-294, 323, 506 भाग-दो 34 के अपराध से दोषमुक्त किया जाता है</p> <p>प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति दो चाकू सब्जी काटने के है जो मूल्यहीन होने से नष्ट किया जावे।</p> <p>प्रकरण का परिणाम आपराधिक पंजी में दर्ज कर प्रकरण अविलंब अभिलेखागार भेजा जावे।</p> <p style="text-align: right;">(सिराज अली) न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट</p> | |